28.8.24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण बहस सुने हुए एक माह से अधिक होने से मजिद बहस पुनः सुनी गई, प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर शामील पत्रावली किया गया विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :–61/2022

गोपीलाल पिता केशव लाल (केशुलाल) उर्फ केसरीमल जाति ब्राम्हण निवासी गुलाना तह0 बेगूँ व अन्य

प्रार्थीगण

बनाम

धमेन्द्र पिता देवा जी जाति नाई निवासी रायती तह0 बेगूँ व अन्य

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.28.08.2024	पत्रावली पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में बहस एक तरफा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक पूर्व में सुनी गई थी, प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का इस प्रकार से है कि ग्राम गुलाना वर्तमान में तहसील बेगूँ जिला चितौडगए में स्थित है, पूर्व में यह ग्राम तहसील जावद जिला मंदसोर (म.प्र.) का ग्राम होकर प्राचीन समय में ग्वालियर स्टेट का ग्राम था। संयुक्त राजस्थान वनने पर यह ग्राम गुलाना राजस्थान के चितौडगढ जिले में बेगूँ तहसील में स्थित है। यह कि सम्वत 1993 में ग्राम गुलाना में स्थित आराजी जिसके तत्समय खसरा नम्बर 101 क्षैत्रफल 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि के मालिक कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण निवासी गुलाना थे। ग्राम गुलाना चूंकि ग्वालियर स्टेट का ग्राम होकर तहसील जावद जिला मंदसोर (म.प्र.) में स्थित था, उस समय जमीन खातेदारी में नहीं होकर मालिकाना हक की थी। इसलिए जमाबंदी सम्वत 1993 (विक्रम सम्वत 1936) में उक्त कालु, मथुरा, छोगा, कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण निवासी गुंलाना को भूमि के मालिक दर्शाया गया हैं । यह कि पहले कृषि भूमि के पांतीदार का नाम भी जमाबंदी में अंकित होता है तथा खातेदार कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण अपने कृषि भूमि को समय समय पर पांतिदार को परिवर्तन किया जाकर कृषि कार्य करवाते थे यह कि सम्वत 2022 से 2028 तक हुए भूमि सेटलमेंट के वक्त उक्त आराजी खसरा संख्या के पतिदार लक्ष्मण व नगजी पिता नोला नाई निवासी रायती थे, इसलिए इनका नाम खाते में पांतिदार गैरखातेदारी के रूप में अंकित किया गया, लेकिन भूमि के वास्तविक स्वामी उक्त कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण ही थे एवं कब्जा भी इन्हीं का था, तत्कालीन खातदेार का निधन हो चुका है। प्रार्थी उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज है तथा यह भूमि पारिवारिक मौखिक समझोते से प्रार्थीगण के कब्जे में आई है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हैं	

यह कि वर्णित आराजी नम्बर 101 रकबा 04 बीघा 04बिस्वा भूमि के नये नम्बर अंकित किये गये है। सेटलमेंट खसरा (मिलान खसरा) अनुसार पुराने आराजी नम्बर 101 के नये खसरा नम्बर 40 रकबा 02 बीघा 07 बिसवा खसरा नम्बर 46 रकबा 0बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 47 रकबा 13 बिसवा कुल किता 03 कुल क्षैत्रफल 05 बीघा 01 बिस्वा है, वर्तमान बीघा एवं बिस्वा के स्थान पर हैक्टर प्रणाली आ जाने से वर्तमान खाता निम्न अनुसार है:–

आराजी नम्बर	क्षैत्रफल हैक्टर में
40	0.3810
46	0.3320
47	0.1050

यह कि बेगूँ तहसल में हुए सेटलमेन्ट केवल प्रार्थीगण की वाद वर्णित पुराने आराजी नम्बर 101 क `पांतिदार लक्ष्मण व नगजीराम थे। सेटलमेंट अधिकारियो में मूल खातेदार कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण निवासी गुलाना का नाम काटकर लक्ष्मण व नगजीराम पिता नोल लाई का कब्जा 12 वर्ष अंकित करते हुए इन्हें गैर खातेदार काश्तकार के रूप में आधार वर्ष 2028 की जामबंदी में नवीन नम्बर की जमाबंदी खाते में अंकित कर दिया जो सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियो की गलती व लापरवाही थी, कापनूनन सेटलमेंट पूर्व के खातेदार कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण क `नाम कोहटाने का अधिकार सेटलमेंट अधिकारियों को प्राप्त ही नहीं था। फिर भी इन्होने लक्ष्मण व नगजीराम नाई को अवैध रूप से लाभ पहुचाने के लिए इन्हें गैरखातेदार के रूप में नवीन नम्बरो की प्रथम जमाबंदी सम्वत 2028 में अंकित कर दिया जो कानूनन गलत हुआ है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि खसरा नम्बर 40, 46, 47 की भूमि को बाद में गैर खातेदारी से खातेदारी में अंकित कर दिये जाने से वर्तमान में जमाबंदी अनुसार विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर अंकित है। लेकिन यह भूमि सम्वत 1993 (विक्रम सम्वत) के पूर्व से ही प्रार्थीगण के पूर्वजों की भूमि होरक प्रार्थीगण के ही कब्जे काश्त की भूमि हो कर आज भी उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है । कब्जा प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा होने का दस्तावेजी साक्ष्य सेटलमेंट विभाग का मिलान खसरा सम्वत 2022 में कॉलम संख्या 23 में नाम कृषक के खाने मे प्रार्थीगण के पूर्वज कालु, छोगा कल्याण 3/4 व सोहन पिता मथुरा 1/4 को खातेदार अंकित किये जाने के पश्चात सेटलमेंट अधिकारियों ने जानबुझकर प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम कांटकर लक्ष्मण नगजी पिता नोला नाई का नाम इन्हें नाजायज लाभ पहूँचाने हेतु अंकित कर दिया है, इस प्रकार भूमि पर पुश्तैनी रूप से प्रार्थीगण का कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

यह कि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा लक्ष्मण व नगजी को भूमि सिजारे पर खेती के लिए दी थी। दोनो का निधन होने के बाद भूमि कानूनन प्रार्थीगण की रहनी चाहिए थी लेकिन रेवेन्यु अधिकारियों ने उत्तराधिकारियों के नाम पर गलत नामान्तरित किया हैं। प्रार्थना मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होने से एवं सम्वत 1993 से लगातार प्रार्थीगण की होने से तथा कब्जा प्रार्थी का होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है एवं यदि विपक्षीगण जनबल व ताकत के बल पर प्रार्थीगण से कब्जा छिन लेते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय कानूनी आर्थिक क्षति होगी, जिसका मुल्याकंन अर्थ में संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सवीकार फरमाया जावे एवं विपक्षीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें और ना ही अपने परिवार के सदस्य रिश्तेदार नौकर एजेंट आदि से करावें।

172

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण मामले बावजूद सूचना के न्यायालय में हमारे समक्ष उपस्थित नहीं आए है। विपक्षीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाकर प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि ये भूमि सम्वत 1993 में आराजी संख्या 101 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा की कालु वगैरा मजकुर कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण सा.देह हिस्सा बराबर से दर्ज थी तथा पांतिदार का नाम भजा वलद नो कौम धाकड अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा गुलाना सं0 2021 से 24 में भी खातेदार कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण व गैरखातेदार लक्ष्मण व नगजी पिता नोला नाई मु.जा.12 साल अंकित किया हुआ है। नकल सेटलमेन्ट मिलान खसरा में भी 101 के नवीन आराजी संख्या 40, 46, 47 में खातेदार कालु, मथुरा, छोगा कल्याण पिता गोकल ब्राम्हण का नाम काटा हुआ होकर लक्ष्मण नगजी पिता नोला कौम नाई अंकित किया हुआ है। अन्य दस्तावेज का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया है, वर्तमान में यह भूमि विपक्षीगण के खाते में दर्ज है। कब्जा प्राथीगण द्वारा भूमि पर होना बताया गया है, इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे विपक्षीगण द्वारा कोई जबाव या कथन न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं कहा गया है।

यह प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होकर उनके खाते मे दर्ज की जावेगी या नहीं? इसका निस्तारण प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया जावेगा। चूँकि दस्तावेजी अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है, यदि विपक्षीगण खातेदार होने से भूमि का अन्यत्र खुर्द बुर्द कर देते है तो प्रार्थीगण का न्यायालय मे दावा लाना ही व्यर्थ हो जायेगा। प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी। इसलिए विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा गुलाना प0ह0 गोविन्दपुरा की आराजी संख्या 40 रकबा 0.3810 हैक्टर, आराजी संख्या 46 रकबा 0.3320 हैक्टर व आराजी संख्या 47 रकबा 0.1050 हैक्टर भूमि के रिकोर्ड व मौके की यथास्थिती कायम रखें तथा प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य करावें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को लिखा जाकर सरे इजलाय सुनाय गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू